

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र खबहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व
कि विदेशी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
खबहार हुआ हो तो पत्र इमारक एवं दिलोक
अवश्य लिखा जाये लिस्ट सुधारा हो।



ग्राम : खूलीवरीटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

फैक्स:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५७४८०

दिनांक: ०१.०६.१२....

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन (प्रस्तावित रीविशंकर शिक्षा महाविद्यालय), रावतपुरा थाम, लहर शिष्ट को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्त्वायी हर बहुता हेतु अनुशंसार्ण प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने इश्वरियम 1973 के परिजियम 27(10) के अन्वर्गत विनाशकुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आचार्य, प्रश्नाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442633)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. रघुभी शर्मा, प्राचार्य, संरचनीय मानसिंह शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विनीक्षण समिति के सदस्यों से अनुमति है कि वे परिजियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विनीक्षण कर शुरू, घोषणा देने, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेश्य तथा पिछले सत्र में भी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की विनीक्षितों का प्रमाण एवं वेतन आदि के दारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपालिका के विनीक्षण समिति 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समल प्रस्तुत किए जाने हैं। ताकि समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्वालियरलों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तराधिकार है कि वे अपने महाविद्यालयों का विनीक्षण विधीनित अवधि से पूर्व ही अस्त्वायक रूप से सम्बन्ध करा लें। यदि कोई भी महाविद्यालय हेतु तिथि के विधारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एवं माह तक संयोजक से सम्पर्क बही करता है तो संबंधित संयोजक स्थवरं सामि हो दें। के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का विनीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार बही किया जा सकेगा। बा ती ग्वालियरलों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

“विनीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यस्त अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जारीगे स्थायी महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से विनीक्षण समिति को अवश्यक करावेंगे। विनीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।”

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय द्वारा भेजकर आगाह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण विवाक विधीनित कर महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण करावें। उक्त विनीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के नेतृत्वी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)